

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
व इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

दलवीर सिंह आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एल आर एक्ट मुकदमा नं. 88/2022
निर्णय दिनांक :- 10.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबस उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा पेश होने पर
आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया
जाकर चक 27 एच ए, पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र लखिया की जमाबन्दी
संवत् 2074 ता 76 के खाता संख्या 27/25 के मुरब्बा नम्बर 41/1 की 0.076
हेक्टेयर नहरी भूमि को हटाया जाकर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11 के 0.222
हेक्टेयर, किला नम्बर 20 के 0.228 हेक्टेयर, किला नम्बर 21 के 0.228 हेक्टेयर नहरी
रकबा के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11 के 0.247 हेक्टेयर, किला
नम्बर 20 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 21 के 0.253 हेक्टेयर नहरी भूमि दर्ज किये
जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।
उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 10.06.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व
न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इयूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

क्रमांक: रीडर/ 2022/330

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार
कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 10.06.2022

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर